भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3191**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 में अनचाही लड़कियों का हिस्सा**

**3191. श्रीमती वानसुक साइमः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में 21 मिलियन नई ऐसी अनचाही लड़कियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिन्होंने जन्म तो लिया, परंतु जिनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की गई;

(ख) क्या केरल और असम में भी अंतिम बच्चे का लिंगानुपात (एसआरएलसी) पुरुषपक्षीय है;

(ग) क्या अनचाही लड़कियों की संख्या इस बात को उजागर करती है कि लड़के की चाह देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित कर रही है; और

(घ) महिलाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्‍तर**

श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में मंत्री

(क) : वित्त मंत्रालय द्वारा संपादित आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 के अध्याय 7 - “जैंडर और बेटे की चाहत – क्या विकास ही प्रतिरोधक है'' में ऐसे परिवारों, जिनकी प्रजनन क्षमता समाप्त नहीं हुई है, के बैंचमार्क बाल लिंगानुपात और वास्तविक लिंगानुपात के बीच अंतर के रूप में परिकलित “अनचाही कन्याओं”, जो अनुमानत: 21 मिलियन से अधिक हैं, की संकल्पना दी गई है।

(ख) : आर्थिक सर्वेक्षण, 2018 में कहा गया है कि केरल और असम में बेटे की चाहत {अंतिम बच्चे के विषम लिंगानुपात (एसआरएलसी)} के संकेत हैं।

(ग) : अनचाही कन्याओं की संख्या उन भारतीय माता-पिता के व्यवहारात्मक पैटर्न को दर्शाती है, जो तब तक बच्चे होने को तरजीह देते रहते हैं, 'जब तक वांछित संख्या में पुत्र जन्म नहीं ले लेते', जिसके फलस्‍वरूप ''अनचाही कन्याओं'' की आनुमानिक श्रेणी का जन्‍म होता है। चूंकि, देश में विषम लिंगानुपात महिलाओं की सेहत और कल्याण को प्रभावित करता है, इसलिए इस मंत्रालय ने घटते बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और पूरे जीवन चक्र में महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए 22 जनवरी, 2015 को ''बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी)'' अभियान की शुरूआत की है। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम मार्च, 2018 से देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) में क्रियान्वित किया जाएगा।

(घ) : भारत सरकार ने विभिन्‍न स्कीमों/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्‍त बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमें इस प्रकार हैं : 1) **राष्ट्रीय महिला कोष :** गरीब महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार से आजीविका सहायता और आय सृजन कार्यकलापों के लिए रियायती दरों पर उन्‍हें ग्राहक-अनुकूल प्रक्रिया के द्वारा लघु ऋण प्रदान करता है; (2) **किशोरियों के लिए स्कीम** का लक्ष्य 11-18 वर्ष की आयु समूह की बालिकाओं को पोषण, जीवन कौशल, गृह कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के माध्यम से उनका सशक्तीकरण करना एवं उनकी सामाजिक हैसियत में सुधार लाना है; (3) **महिला ई-हाट** महिला उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक अनूठा प्रत्यक्ष ऑन-लाइन डिजिटल विपणन मंच प्रदान करता है; (4) **प्रधान मंत्री महिला शक्ति केंद्र** ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से ऐसे वातावरण का सृजन करके, जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें, सशक्त बनायेगा; और (5) **काम-काजी महिला हॉस्टल (डब्ल्यूडब्ल्यूएच)** स्कीम अपने निवास स्थल से दूर काम कर रही महिलाओं को सुरक्षित आवास सुनिश्चित करती है।

\*\*\*\*\*